फर्द अहकाम

उनवान भैरूराम बनाम जैन टाउनशिप वगै0

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा 17/2021

30/5/2022 पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं0 2, 3 के खिलाफ दिनांक 22.11.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य पुनः दोहराये गये। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में स्वीकार किया कि वाके ग्राम माचवां, पटवार हल्का क्षेत्र माचवां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 584/940 रकबा 0.0126 हैक्टे0 का रूपांतरण हो चुका है, अतः उसमें कॉलोनी नही काटी जा सकती। खसरा नं0 663 में अप्रार्थी सं01 का कोई हिस्सा नहीं है अतः अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पर कोई विशेष आपत्ति पेश नहीं की गई।

उभयपक्षों की बहस का मनन कर न्यायालय यह पाता है कि वाके ग्राम माचवां, पटवार हल्का क्षेत्र माचवां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 663 कृषि प्रयोजनार्थ व खसरा नं0 584/490 पेटोल पम्प हेतु भूमि रूपांतरण होने के कारण कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती। यदि ऐसा होता है तो वादों की बहुल्यता हो सकती है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होता है।

अतः यह न्यायालय वाके ग्राम माचवां, पटवार हल्का क्षेत्र माचवां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 663 रकबा 0.0126 हैक्टे0 व खसरा नं0 584/940 रकबा 0.0126 हैक्टे0 में उभयपक्षों को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:27:20 IST
Reason: Self Attested

अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम